न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 282/2012 **दायरा दिनांक : 29.08.2012**

उनवान

प्रहलाद आयु 55 वर्ष पुत्र श्री रामनाथ, जाति गूर्जर, निवासी रामगढ, तहसील किशनगंज, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— सुक्खा पुत्र अमरा, जाति गूर्जर, निवासी रामगढ, तहसील किशनगंज, जिला बारां मृतक कायम मुकामान :—

1/1— कालू पुत्र सुक्खा, जाति गूर्जर, निवासी रामगढ, तहसील किशनगंज, जिला बारां

1/2— कस्तूरी पत्नी सुक्खा, जाति गूर्जर, निवासी रामगढ, तहसील किशनगंज, जिला बारां

1/3— काली पुत्री सुक्खा, जाति गूर्जर, निवासी रामगढ, तहसील किशनगंज, जिला बारां

1/4— छोटा बाई पुत्री सुक्खा, जाति गूर्जर, निवासी रामगढ, तहसील किशनगंज, जिला बारां

1/5— पप्पूडी बाई पुत्री सुक्खा, जाति गूर्जर, निवासी रामगढ, तहसील किशनगंज, जिला बारां

1/6— द्वारक्याबाई पुत्री सुक्खा, जाति गूर्जर, निवासी रामगढ, तहसील किशनगंज, जिला बारां

2— भीमाशंकर पुत्र दयाराम नाबा0 जर्ये वली माता कैलाशबाई बेवा दयाराम, जाति गूर्जर, निवासी रामगढ, तहसील किशनगंज, जिला बारां

3— हीरा लाल पुत्र रामनाथ, जाति गूर्जर, निवासी रामगढ, तहसील किशनगंज, जिला बारां

4— इन्द्रा पुत्री श्योराम पत्नी छोटूलाल, जाति गूर्जर, निवासी मुण्डिया जडावदिया, तहसील मांगरोल, जिला बारां

5— कैलाश बाई पत्नी दयाराम, जाति गूर्जर, निवासी रामगढ, तहसील किशनगंज, जिला बारां

6— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 281/2012 **दायरा दिनांक : 29.08.2012**

उनवान

प्रहलाद आयु 55 वर्ष पुत्र श्री रामनाथ, जाति गूर्जर, निवासी रामगढ, तहसील किशनगंज, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— सुक्खा पुत्र अमरा, जाति गूर्जर, निवासी रामगढ, तहसील किशनगंज, जिला बारां मृतक कायम मुकामान :—

1/1— कालू पुत्र सुक्खा, जाति गूर्जर, निवासी रामगढ, तहसील किशनगंज, जिला बारां

1/2— कस्तूरी पत्नी सुक्खा, जाति गूर्जर, निवासी रामगढ, तहसील किशनगंज, जिला बारां

1/3— काली पुत्री सुक्खा, जाति गूर्जर, निवासी रामगढ, तहसील किशनगंज, जिला बारां

1/4— छोटा बाई पुत्री सुक्खा, जाति गूर्जर, निवासी रामगढ, तहसील किशनगंज, जिला बारां

1/5– पप्पूडी बाई पुत्री सुक्खा, जाति गूर्जर, निवासी रामगढ, तहसील किशनगंज, जिला बारां

1/6– द्वारक्याबाई पुत्री सुक्खा, जाति गूर्जर, निवासी रामगढ, तहसील किशनगंज, जिला बारां

2– भीमाशंकर पुत्र दयाराम नाबा0 जर्ये वली माता कैलाशबाई बेवा दयाराम, जाति गूर्जर, निवासी रामगढ, तहसील किशनगंज, जिला बारां

3– हीरा लाल पुत्र रामनाथ, जाति गूर्जर, निवासी रामगढ, तहसील किशनगंज, जिला बारां

4– इन्द्रा पुत्री श्योराम पत्नी छोटूलाल, जाति गूर्जर, निवासी मुण्डिया जडावदिया, तहसील मांगरोल, जिला बारां

5– कैलाश बाई पत्नी दयाराम, जाति गूर्जर, निवासी रामगढ, तहसील किशनगंज, जिला बारां

6– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज, जिला बारां

..... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री ओ पी मेहता अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री बृजराज सिंह अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 14.12.2017**

ये दोनों अपीलें समान पक्षकारों के मध्य एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज के प्रकरण संख्या – 45/2010 निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 19.05.2010 एवं निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 13.10.2010 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट सुक्खा ने अपीलांट एवं अन्य के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर यह कथन किया कि ग्राम प्रेमपुरा और रामगढ, तहसील किशनगंज, जिला बारां में आराजियात स्थित है जिसमें से ग्राम प्रेमपुरा में खाता संख्या नया 15 पुराना 18 में आराजी खसरा नम्बर 27 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा प्रहलाद, हीरा पुत्र रामनाथ के खाते में दर्ज है । ग्राम रामगढ. तहसील किशनगंज में खाता संख्या नया 327 पुराना 283 में आराजी खसरा नम्बर 435/737/923 में 5 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 782 रकबा 7 बीघा कुल 12 बीघा 17 बिस्वा आराजी हीरा हिस्सा 1/2, भीमाशंकर नाबालिग कैलाश बेवा दयाराम हिस्सा 1/2 दर्ज है । ग्राम रामगढ़ में खाता संख्या 194 नया पुराना 169 में खसरा नम्बर 270 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 550 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 553 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 780 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 781 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा कुल 5 किता की 19 बीघा 10 बिस्वा आराजी भीमाशंकर पुत्र दयाराम नाबालिग कैलाश बाई बेवा दयाराम हिस्सा 1/4 प्रहलाद पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/4 हीरा पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/2 दर्ज है । यह आराजियात विवादित है । ये आराजी संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति है जो वादीगण और प्रतिवादीगण को अपने पूर्वज अमरा से प्राप्त हुई है । अमरा के तीन पुत्र हैं कंवर लाल, रामनाथ और सुक्खा । वादी कंवर लाल और रामनाथ की मृत्यु हो चुकी है । कंवर लाल के उत्तराधिकारी कैलाष बाई दयाराम और श्योराम थे । दयाराम और श्योराम की मृत्यु हो चुकी है । दयाराम का पुत्र भीमाशंकर है जो

प्रतिवादी नम्बर 1 है और श्योराम की पुत्री इन्द्रा बाई है जो प्रतिवादी नम्बर 4 है । रामनाथ के वारिस प्रतिवादी नम्बर 2 और 3 हैं । अमरा की मृत्यु के बाद आराजी उसके भाई कंवर लाल के नाम दर्ज हुई जिसका अंकन जमाबंदी सम्वत 2007–10 में हो रहा है । लेकिन बाद में सैटलमेंट ने वादी का नाम हुआ दिया और सम्पूर्ण आराजी कंवर लाल और रामनाथ के नाम दर्ज कर दी । आराजी में वादी का 1/3 हिस्सा निहित है जिसमें वादी काबिज काश्त है । अतः दावा वादी स्वीकार कर कंवर लाल की विधवा कैलाश बाई अन्यत्र नाते चली गयी है जिसका कोई अता–पता नहीं है । श्योराम की पुत्री इन्द्रा बाई ने अपना हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रतिवादी नम्बर 3 को बेचान किया है जिसका नामान्तरकरण संख्या 510 खोला जा चुका है । प्रतिवादीगण वादी को बेदखल करने पर आमादा है । अतः दावा वादी स्वीकार कर वादी को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित कर वादी का हिस्सा पृथक किया जाये और प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 19.05.2010 को वादी का दावा राजीनामे के आधार पर डिक्री कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की है और दिनांक 13.10.2010 को विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की है जिसके खिलाफ ये दोनों अपीले पेश की गई हैं ।

अपील संख्या 282/2012 विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री के खिलाफ पेश की गई है और यह कथन किया गया है कि रेस्पोडेंट नम्बर 2 भीमाशंकर नाबालिग था फिर भी राजीनामा स्वीकार किया है । कैलाशबाई पत्नी दयाराम आवश्यक पक्षकार थी जिसको पक्षकार नहीं बनाया गया है । फिर भी दावा डिक्री किया है । निर्णय विधिक प्रावधानों के विपरीत है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 23.07.2012 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील संख्या 281/2012 विभाजन की अंतिम डिक्री के खिलाफ पेश की गई है और यह कनि किया गया है कि रेस्पोडेंट नम्बर 2 भीमाशंकर नाबालिग था फिर भी राजीनामा स्वीकार किया है । कैलाशबाई पत्नी दयाराम आवश्यक पक्षकार थी जिसको पक्षकार नहीं बनाया गया है । फिर भी दावा डिक्री किया है । निर्णय विधिक प्रावधानों के विपरीत है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 23.07.2012 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

दोनों अपीलें प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि राजीनामा विधिक नहीं है । आवश्यक पक्षकार कैलाश बाई को पक्षकार बनाये बिना दावा पेश किया गया है । भीमाशंकर नाबालिग है वे राजीनामा नहीं कर सकता है । बंटवारा

विधि सम्मत रूप से नहीं किया गया है । अतः दोनों अपीले स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अपीलांट ने स्वयं राजीनाम किया है अब उन्हैं अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है । उन्हें जो भी आपत्ति थी वह अधीनस्थ न्यायालय में कह सकते थे । राजीनामे के आधार पर जो निर्णय पारित हो गया वह उचित है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय में जो राजीनामा पेश किया गया है उसका अवलोकन किया गया । यह राजीनामा सुक्खा वादी, भीमाशंकर प्रतिवादी, प्रहलाद प्रतिवादी, हीरा और इन्द्रा समस्त पक्षकारान के द्वारा पेश किया गया है और इस राजीनामे में वादी का दावा स्वीकार करने में अनापत्ति की गई है । इसमें अपीलांट प्रहलाद के भी अंगूठा निशानी है और उनकी पहचान उनके अभिभाषक रविन्द्र सिंह हाडा ने की है और अब अपीलांट को अपील में इस राजीनामे के आधार पर पारित निर्णय में आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है । जहां तक भीमाशंकर के नाबालिग होने का प्रश्न है वो दावा दायरी की दिनांक को बालिक थे और उनकी आयु 32 वर्ष अंकित की गई है और इस बाबत कोई आपत्ति उनके द्वारा नहीं की गई है । जहां तक राजस्व रेकार्ड में कैलाश बाई का नाम दर्ज होने का प्रश्न है एवं उसको पक्षकार नहीं बनाये जाने का प्रश्न है इस बाबत आपत्ति करने का अधिकार कैलाश बाई को है न कि अपीलांट को । अपीलांट ने

अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया है और राजीनामे को न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया है । अपीलांट को उनके अभिभाषक रविन्द्र सिंह हाडा ने पहचान किया है जबकि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया है और अधीनस्थ न्यायालय ने दावा बरूवे राजीनामा डिक्री किया है तो वे अपीलांट को इस राजीनामे के विरूद्ध अपील करने का अधिकार नहीं है । अपीलांट की अपील मेंटेनेबल नहीं है । हॉ कैलाश बाई पत्नी दयाराम जो कि राजस्व रेकार्ड में सहखातेदार दर्ज है वो अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री के खिलाफ आपत्ति पेश करने के लिए स्वतंत्र है और उनके द्वारा इस निर्णय के विरूद्ध कोई दावा अथवा अपील की जाती है तो उस पर रेसज्यूडीकेटा का सिद्धांत लागू नहीं होगा ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीलें अपील संख्या 181/2012 एवं 182/2012 अपीलांट मेंटेनेबल नहीं होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्रारिम्भक डिक्री दिनांक 19.05.2010 एवं निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 13.10.2010 यथावत रखे किये जाते हैं ।

निर्णय आज दिनांक 14.12.2017 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा